भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में वृहस्पतिवार, तिथि १७ अप्रैल, १९५८ को ११ बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष, श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा, के सभापतित्व में हुआ ।

स्थगन प्रस्ताव :

विद्युत् विभाग के मजदूरों की छंटनी ।

ADJOURNMENT MOTION :

RETRENCHMENT OF WORKERS IN THE ELECTRICITY DEPARTMENT.

अध्यक्ष—एक एडजोर्नमेंट मोशन (स्थगन प्रस्ताव) आया है । यह मान्य है या अमान्य इसका फैसला मैं अभी नहीं करता हूँ । मैं श्री कर्पूरी ठाकुर से पूछता हूँ कि उनके पास क्या दलील है कि यह माना जाय ।

श्री कर्पूरी ठाकुर—जो ४० मजदूर विद्युत् विभाग में काम करते थे जैसे और भी मजदूर सारे राज्य में काम करते थे वे सरकार के कर्मचारी थे । विद्युत् विभाग का अभी हाल में फैसला हुआ कि काम एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मातहत से होगा, एलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट (विद्युत् विभाग) के मातहत से नहीं होगा । सरकार ने यह भी फैसला किया कि जो कर्मचारी जिस पद पर जहां काम कर रहे हैं वे एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी माने जायेंगे और उनकी न तो कहीं ट्रान्सफर (बदली) होगी और न छंटनी होगी ।

अध्यक्ष—अब तो अधिकार सेन्ट्रल गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार) का हो गया है ।

श्री कर्पूरी ठाकुर—उसके बाद एक सरकुलर निकला । उस सरकुलर में यह भी है कि जब तक रूल नहीं बनता है तब तक पुराने रूल के मुताबिक ही काम होगा । यह एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सवाल नहीं है, यह श्रम-विभाग का है, जब मजदूरों की संख्या कम होती है, कहीं हड़ताल होती है या कहीं छंटनी होती है तो श्रम-विभाग उसको देखता है और अगर नाजायज रहता है तो उसको रोकता है ।

यहां श्रम-विभाग बिलकुल असफल रहा है । इसकी कोई कारंवाई की ही नहीं गयी है । हालांकि श्रम-विभाग को इस बात की सूचना दी जाती रही है कि ४० मजदूर छांटे जा रहे हैं उनको काम पर नहीं लिया जा रहा है, जैसा मैंने अपने 'काम रोको' प्रस्ताव में बताया है । उन लोगों ने प्रार्थना की कि हमलोगों को काम पर लिया जाय लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई । हारकर मजदूरों ने कल से सत्याग्रह शुरू किया है और १० की गिरफ्तारी हुई है । मेरा अन्दाज है कि कहीं आज भी गिरफ्तारी न हो ।

ये मजदूर बहुत दिनों से काम करते आ रहे हैं और उनके सामने रोजी-रोटी का सवाल है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है जिसके कारण उनको हटाया जाय। श्रम-विभाग असफल रहा है उनको रोजी-रोटी देने में। मैंने 'काम रोको' प्रस्ताव सरकार की असफलता पर विचार करने के लिए दिया है और आप उसे नियमानुकूल मानते हैं तो उस पर बहस करने की अनुमति दें।

अध्यक्ष—कल आपने एक काम रोको प्रस्ताव दिया था, वह इस कारण से नामंजूर कर दिया गया कि उसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—मेरा कहना है कि मजदूरों को काम देने की जवाबदेही श्रम-विभाग पर है।

अध्यक्ष—रेल में भी ?

श्री कर्पूरी ठाकुर—जी हां ? इस राज्य में मजदूरों के ऊपर कहीं किसी प्रकार का अत्याचार होता हो तो श्रम-विभाग को देखना चाहिये।

अध्यक्ष—फैक्टरी होना चाहिये।

श्री कर्पूरी ठाकुर—जी नहीं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस हो तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री दीप नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में मुझे दो तीन बातें कहनी हैं। एक तो जैसा आपने स्वयं कहा कि बिजली विभाग अब बिहार सरकार के अन्दर नहीं है। सेन्ट्रल ऐक्ट के मुताबिक एक बोर्ड के हवाले कर दिया गया है और उस ऐक्ट के मुताबिक उसके रोजमर्रे के काम में बिहार सरकार को दखल देना ठीक नहीं है।

दूसरी बात यह है कि गिरफ्तारी हो चुकी है और केस भी शुरू हो गया है। इस कारण से इसको यहां पर डिसकस नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग काम करने से मुक्त कर दिये गये हैं। पहले से परमानेंट मस्टर रोल पर ६५ आदमी काम कर रहे थे और जब सूखे के कारण इमरजेंसी हुई तो कुछ और मजदूर रखे गये। जब इमरजेंसी हट गयी तो जो बाद में लिये गये थे उनको हटाया गया, जो ११ और १९ की संख्या में दो बार में बहाल किये गये थे। पहले से जो ६५ काम कर रहे थे उनको नहीं हटाया गया है। इन कारणों से मैं उचित नहीं समझता हूँ कि इस पर यहां बहस किया जाय।

*Shri RAM CHARITRA SINHA : Sir, a printed paper has been distributed but it is not comp ete. I would suggest to the Minister through the Chair that a detailed memorandum should be circulated to the Members of the House and one day should be given for discussion on the memorandum so that we could make suggestions.

The memorandum should explain as to what type of officers have been transferred from one Department to another and as to who has taken control of the Power Station.

SPEAKER : Unless I get something in writing it will be difficult for me to take any action.

Shri RAMCHARITRA SINHA : Sir, I am suggesting to the Minister through the Chair. I have examined the paper which has been circulated to us. It does not give a clear picture of the whole thing. So I request that a memorandum should be circulated to us with all the details of the workings of the Electricity Department.

अध्यक्ष—श्री राम चरित्र सिंह के कहने से ऐसा मालूम होता है कि एडजोर्नमेंट (स्थगन) का प्रश्न लेकर सदस्यों में भ्रम पैदा हो सकता है कि बिजली पर एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अधिकार हो गया है। इसको रोकने के लिये वे चाहते हैं कि सरकार की तरफ से एक सरकुलर छाप कर सदस्यों में वितरण कर दिया जाय तो अच्छा होगा।

Shri RAMCHARITRA SINHA : I want that a detailed memorandum should be prepared by the Government and placed on the table of the House and the members should be allowed to discuss it so that they may make their suggestions.

अध्यक्ष—श्री राम चरित्र सिंह दो चीज चाहते हैं। पहली चीज यह है कि सरकार एक डिटेल्ड मेमोरैण्डम तैयार करे और फिर एक दिन उस पर हाउस में बहस हो। पहले मेमोरैन्डम तैयार हो जायेगा तब तो उस पर बहस करने का सवाल पैदा होगा।

श्री रामचरित्र सिंह—मैंने दो सुझाव दिया है कि एक डिटेल्ड मेमोरैन्डम तैयार किया जाय और फिर एक दिन उस पर इस हाउस में बहस करने के लिये समय मुकर्रर किया जाय।

अध्यक्ष—डिटेल्ड मेमोरैन्डम देने के लिये जो सुझाव है उससे तो हर एक सदस्यों को सुविधा होगी। लेकिन जहां तक इस पर बहस के लिये एक दिन देने का सवाल है उसके लिये तो मेरे पास किसी सदस्य की ओर से लिख कर आना चाहिये तब उस पर विचार किया जायगा।

Shri RAMCHARITRA SINHA : I have given suggestions to the Leader of the House and he should accept my suggestions.

SPEAKER : Then I have got nothing to do with your suggestions.

Shri RAMCHARITRA SINHA : I have given my suggestions to the Leader of the House through the Speaker; through you I am suggesting him to prepare a detailed memorandum and place it before the House for discussion.

श्री कर्पूरी ठाकुर—परमानेंट और टेम्पोररी हैन्ड्स दोनों को बोर्ड में दिया गया है लेकिन बोर्ड ने टेम्पोररी हैन्ड्स को हटा दिया है। सरकारी प्रस्ताव के मुताबिक परमानेंट या टेम्पोररी किसी को भी रिट्रेन्च वह नहीं कर सकती है।

अध्यक्ष—परमानेंट हैन्ड्स को तो मजबूरन रखना है लेकिन टेम्पोररी हैन्ड्स को रखने के लिये आप मजबूर नहीं कर सकते हैं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—उसमें लिखा हुआ है कि जब तक नया रूल्स नहीं बनता है तब तक आपको परमानेंट और टेम्पोररी दोनों को रखना है। इसी तरह का सरकारी प्रस्ताव है।

SPEAKER : Services of temporary charge muster roll workers have been transferred under the Board with effect from 1st April, 1958 and henceforth they will be treated as Board's employees.

इसका यह मतलब नहीं हुआ कि जितने टेम्पोररी हैन्ड्स थे वे सब परमानेंट हो गये।

श्री कर्पूरी ठाकुर—मेरे कहने का यह मतलब है कि टेम्पोररी और परमानेंट सब बोर्ड के इम्प्लाई हो गये और उनकी सर्विस को बोर्ड के यहां ट्रान्सफर कर दिया गया। बोर्ड में सर्विस का ट्रान्सफर होते ही टेम्पोररी हैन्ड्स की छंटैया शुरू हो गयी।

अध्यक्ष—आप केन्द्रीय सरकार के खिलाफ यहां पर नहीं बोल सकते हैं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—यहां पर केन्द्रीय सरकार का सवाल नहीं है। बोर्ड ने कुछ लोगों को हटा दिया है और नाजायज तरीके से हटा दिया है तो क्या सरकार की कोई जवाबदेही इस मामले में नहीं है? श्रम-विभाग को इसको देखना चाहिये।

अध्यक्ष—अगर सरकार का श्रम-विभाग इसको देखेगा और जज (फैसला) करेगा कि जायज हुआ है या नहीं तब तो मैं इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दूंगा।

श्री सैयद मुहम्मद अकील—जहां तक मजदूरों के बारे में हमारे दोस्त की शिकायत मेरे विभाग से है इसको वजा (स्पष्ट) कर देना चाहता हूँ कि इस किस्म के इंडस्ट्रीयल डिस्प्युट (औद्योगिक झगड़े) जो इम्प्लायर (नियोजक) और इम्प्लायी (नियोजिती) के बीच होता है उसके लिये एक तरीका है और उसके लिये हमारे दोस्त को लेबर डिपार्टमेंट (श्रम-विभाग) को फौरमल एप्रोच करना चाहिये। इस तरह का एप्रोच होने पर लेबर डिपार्टमेंट (श्रम-विभाग) की एक कंसिलियेशन (समझौता) की मशीनरी है और वहां या लेबर अफसर इस चीज में इन्टरभीन (हस्तक्षेप) करते हैं और कन्सिलियेशन (समझौते) की जरूरत समझते हैं तो कन्सिलियेशन (समझौता) करते हैं।

जहां तक मेरी जानकारी है इस मामले में अभी तक कोई फौरमल एप्रोच लेबर डिपार्टमेंट (श्रम-विभाग) में नहीं हुआ है। यह बात सही है कि लोगों की टैया हुई है और उसके लिये लोगों ने एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास अपील की है। लेकिन लेबर डिपार्टमेंट (श्रमविभाग) के यहां कोई एप्रोच नहीं हुआ है। उसकी एक कौपी ए० एल० सी० को मिली थी और उसको गया के लेबर अफसर के यहां तुरत भेज दिया गया है कि वे इसकी जांच करें और जरूरत समझें तो उसमें इन्टरफेर (हस्तक्षेप) करें। इस तरह से लेबर (श्रम) विभाग को इसकी खबर हो गयी है और डी० एल० सी० को भी हिदायत कर दी गयी है कि वे वहां पर खुद जायं और देखें कि किस तरह से लेबर डिपार्टमेंट (श्रमविभाग) की ओर से काम हो रहा है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—मुझे एक निवेदन यह करना है कि लेबर डिपार्टमेंट (श्रम विभाग) की ओर से कारवाई की एक सूचना निकट भविष्य में मेरे पास भेज दी जाती तो अच्छा होता।

अध्यक्ष—क्या हर बात की सूचना सदस्यों को देना जरूरी है? श्री कर्पूरी ठाकुर को इसकी सूचना मिलना कुछ हद तक जायज हो सकती है।

श्री सैयद मुहम्मद अकील—इस पर कारवाई हो रही है और माननीय सदस्य यदि इसकी जानकारी चाहते हों तो वे इसके लिये एक सवाल दे सकते हैं।

अध्यक्ष—श्री कर्पूरी ठाकुर एक पत्र लिख देंगे और उसका जवाब सरकार की ओर से दे दिया जायगा।

श्री दीप नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में एक सुझाव देना चाहता हूँ। श्री राम चरित्र सिंह ने जो सुझाव दिया है और जैसा कि आपने फैसला किया है बिजली विभाग के सम्बन्ध में एक तफसीलवार ब्यौरा, कि किस तरह से बोर्ड में ट्रांसफर हुआ है और इसके अन्दर कौन-कौन सी बातें हैं इस पर एक मेमोरेन्डम तैयार करवा कर आपके पास भेज दिया जायेगा और इससे माननीय सदस्यों को इसकी सूचना मिल जायेगी।

अध्यक्ष—श्री कर्पूरी ठाकुर को जो अबतक की कारवाई हुई है उसकी सूचना दे देंगे।

श्री रामचरित्र सिंह—अभी जो प्रस्ताव हुआ है और जो सब चीजें ट्रांसफर हुई हैं वह बहुत जल्दी में हुई हैं।

I think the Department should take note of it and they should not start emoving them. The Department should thoroughly examine the matter before they remove men.

SPEAKER : Your counsel of wisdom is very seldom heard.

Shri DIP NARAIN SINHA : The suggestion of the hon'ble member will be respectfully taken note of.

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद—हमने जो क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज (विशेषाधिकार का प्रश्न) दिया है उसके बारे में क्या हुआ ?

अध्यक्ष—अभी तो हमारे पास पहुँचा नहीं है । लेकिन जब आपने दे दिया है तो वह एक्जामिन होगा । वह आज भी हो सकता है और कल भी हो सकता है ।

अनुदानों की मांगों पर मतदान :
VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS.

लोक उन्नयन योजना :
COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT

कटौती प्रस्ताव :
CUT MOTION :

लोक उन्नयन योजना, राष्ट्रीय विस्तार और स्थानीय विकास-कार्य का कार्यान्वयन ।
WORKING OF COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT, NATIONAL EXTENSION AND LOCAL DEVELOPMENT WORKS.

श्री सनाथ राउत—अध्यक्ष महोदय, कम्युनिटी प्रोजेक्ट और नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस का जो उद्देश्य है वह एक भी पूरा नहीं हो रहा है । उसमें जितनी भी इनिसियेटिव होती है वे लोगों की ओर से नहीं होती हैं । 'प्लानिंग फ्रौम बिलो' अपनायी जाय । लेकिन देखा जाता है कि उसका एक भी उद्देश्य पूरा नहीं होता है । लोगों की तरफ से किसी काम में इनिशियेटिव नहीं होती है । बी० एल० डब्लू०, प्रोजेक्ट अफसर, ब्लौक डेवलपमेंट अफसर या जितने भी कर्मचारी होते हैं वे लोगों में इनिशियेटिव पैदा नहीं कर सकते हैं । संथाल परगना में लगभग अट्ठारह ब्लौक हैं और वे ट्राइबल एरिया में हैं । वहां ट्राइबल आदिवासी बसते हैं । वहां लोगों में इनिसियेटिव पैदा करने की जरूरत है और जब वे अफसर और कर्मचारी वहां के लोगों की कस्टम (रिवाज) और ट्रेडिशन (परम्परा) को समझ जायेंगे तभी लोगों में इनिशियेटिव पैदा हो सकती है । एक्चुअली (वस्तुतः) देखा जाता है कि जितने भी अफसर हैं वे फौरेनर (विदेशी) मालूम होते हैं । उनके काम में लोग इन्टरेस्ट (अभिरुचि) नहीं लेते हैं और जो कुछ भी काम अफसरों द्वारा होता है उसमें वहां के लोग समझते हैं कि ये लोग हमारे लिये काम नहीं करते हैं । जो काम होता है वह लीडर क्लास (नेता वर्ग) के लोगों के लिये होता है । जो मुखिया लोग हैं, धनीमानी हैं, उनके यहां काम होता है ।

अध्यक्ष—लीडर क्लास (नेता वर्ग) से आपका क्या मतलब ?

श्री सनाथ राउत—यानी जो चलता-पुरजा है उनका ही काम होता है । जो मूक है, गरीब है उनका काम नहीं होता है । उनमें विश्वास का अभाव है । ब्लौक को जितने